हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2016 से 31.03.2017

भाग –एक

1 प्रस्तावना

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच. एस.जी. -4(डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया हैं। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 1.04.2016 से 31.03.2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक 01.04.2016 से 28.02.2017 तक श्री संदीप सेन, व 1.03.2017 से 31.03.2017 तक श्री अजय शर्मा अधिशाषी अभियन्ता आहरण /संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहे।

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष।	4(क)	1.35
2	विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष।	4(ख)	16.67
3	जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से बकाया राशि वसूली हेतु शेष।	5(क)	11.26
4	रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से बकाया राशि वसूली हेतु शेष ।	5(ख)	50.18
5	विक्री कर की कम कटौती करना	8(क) व 11	7.33
6	संविदाकारों से रॉयल्टी की वसूली न करना	8(ख) व 10	7.57
7	प्रतिस्थापित कार्य मदों के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करना ।	8(ग)	67.61
8	खुदाई की अपेक्षा Ci pipe बिछाने की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण अधिक भुगतान	9(क)	16.05

9	खुदाई की प्रमात्रा में चौड़ाई निर्धारित मापदण्डों से अधिक लिए जाने का कारण अधिक भुगतान	9 (ख)	0.24
10	सीमेंट की आवश्यकता से अधिक मात्रा जारी करने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ	13(iii)	1.62
11	सीमेंट की कम वसूली करना	14	0.18
12	बिना उचित बिल/वाउचर के अग्रिम राशियो का समायोजन करना	17	16.85
13	अनुरक्षण प्रभार पर सेवा कर की वसूली न करना	28	2.21

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई हैं । वर्ष 04/88 से 03/2016 तक मण्डल से संबन्धित 70 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	शेष पैरो की सं.
1	04/2003 to 03/2004	2
2	04/2004 to 03/2005	1
3	04/2005 to 03/2006	6
4	04/2006 to 03/2007	1
5	04/2007 to 03/2008	1
6	04/2011 to 03/2012	1
7	04/2012 to 03/2013	4
8	04/2013 to 03/2014	1
9	04/2014 to 03/2015	6
10	04/2015 to 03/2016	8
11	04/1988 to 03/1989	2
12	04/1989 to 03/1990	1
13	04/1990 to 03/1991	2
14	04/1991 to 03/1992	1
15	04/1992 to 03/1993	1
16	04/1993 to 03/1994	2
17	04/1994 to 03/1995	4
18	04/1995 to 03/1996	11
19	04/1996 to 03/1997	3
19	04/1997 to 03/1998	6
20	04/1999 to 15.01.01	6
	Total	**70**

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हि. प्र. उपरोक्त शेष अनिर्णीत पैरो के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–2

2. वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले. प.) एवं सोम राज कपूर अनुभाग अधिकारी (ले. प.) द्वारा दिनांक 22.01.2018 से 9.3.2018 तक श्री ज्ञान चन्द शर्मा, उप निदेशक स्थानीय लेखा प्रीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला -09 के पर्यावेक्षण में शिमला में किया गया । मास 03/2017 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल –II, जिला शिमला, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया हैं, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा प्रीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला -09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल -II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा ।

4 (क) स्टाफ अग्रिम ₹1.35 लाख समायोजन हेतु शेष :-

स्टाफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर गया कि दिनांक 31.03.2017 को **₹135290** समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं । अतः इस संबंध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्ष 2016-17 के अन्त में समायोजन हेतु शेष राशि
Dinesh Verma A.E. Solan	32204.00
Bodh Raj J.E	48457.00
Prem lal J.E	4200.00
Surinder Kumar Driver	49735.00

Rajinder pal Singh Clerk	694.00
कुल राशि	**₹135290.00**

(ख) विविध अग्रिम ₹16.67 लाख समायोजन /वसूली हेतु शेष

विविध अग्रिम से संबन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–II के अंतर्गत दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न विभागों/फ़र्मों/संविदाकारों से **₹1667240** समायोजन अर्थात वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ पिछले कई वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं । अत: इस संबंध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

फ़र्म का नाम	**अग्रिम राशि**
HP State Civil Supply Corporation Ltd. Shimla	1069578.00
N.K.Maglani	70077.00
Indian Oil Corporation, Shimla	4743.00
HP Agro Industries	102375.00
Steel Authority of India	143556.00
Rashitya Ispat Nigam Ltd.	2853.00
Sh.Bhawani Dutt, Contractor	249143.00
Sh.Surinder singh Driver	18481.00
Sh.Durga Dass Driver	6434.00
Total	**₹1667240.00**

(ग) विविध अग्रिम ₹0.42 लाख (credit) का दिनांक 31.03.2017 तक समायोजन न करना

विविध अग्रिम से संबन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–II के अंतर्गत दिनांक 31.03.2017 को **H.P.State co-op Marketing Consumer Fed.** से ₹42319 समायोजन हेतु शेष थी। अत: इस संबंध में उक्त राशि के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

5. (क) जल प्रभार के रूप में ₹11.26 लाख मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष :-

हिमुड़ा निर्माण मण्डल-II के अंतर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2017 तक ₹1126045 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम सं.	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.03.2017 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती शोघी	519682.00
2	आवास बस्ती BCS Phase –II New Shimla	164563.00
3	आवास बस्ती KandaGhat	381227.00
4	आवास बस्ती Basal	58721.00
5	आवास बस्ती Solan Phase-II	1852.00
	कुल योग	**₹1126045.00**

(ख) रख रखाव प्रभार के रूप में ₹50.18 लाख मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष:-

हिमुड़ा निर्माण मण्डल-II के अंतर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2017 तक **₹5017843.00** रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम सं.	आवासीय बस्ती का नाम	रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2017 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती शोघी	1397863.00
2	आवास बस्ती BCS Phase –II New Shimla	327666.00
3	आवास बस्ती Kasumpati(Chahabrogti)	901683.00
4	आवास बस्ती KandaGhat	747881.00
5	आवास बस्ती Solan Phase-I	10682.00
6	आवास बस्ती Solan Phase-II(Saproon)	673991.00
7	आवास बस्ती Basal	958077.00
	कुल योग	**5017843.00**

6. संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में ₹1.19 लाख का डेबिट (Debit) पाया जाना:-

संविदाकारों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न संविदाकारो के व्यक्तिगत खातों में ₹**119232** की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अंतशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अंतशेष का डेबिट होना यह दर्शाता हैं कि जितनी राशि संविदाकारों से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई थी उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यंत गंभीर अनियमितता हैं। अत: इस संबंध में उचित छानबीन की

जाए तथा ₹**119232.00** के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली संबन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Contractor	Ledger Page No.	Amount
1	M/S AG Construction	305	117527.00
2	Sh. Bhawani Dutt	309	1705.00
	Total		**119232.00**

7. उप-मण्डल द्वारा रोकड़ प्राप्तियों को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाना

अंकेक्षण के दौरान उप मण्डल सोलन की जल प्रभार और रख रखाव प्रभार के रूप में विभिन्न मकान/प्लाट मालिकों से प्राप्त आय की संबन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राप्त आय को निर्माण मण्डल –II के खाते में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था, जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध होने के साथ साथ प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी हैं। देरी से जमा करवाई गई राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- क-I** पर दिया गया हैं। अत: मण्डल स्तर पर आय को देरी से जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में उप मण्डल स्तर पर एकत्रित आय को शीघ्र अति शीघ्र मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 वाउचर संख्या: 56/17-2-2017

निर्माण कार्य का नाम:-	C/O Commercial Complex at KZC Shimla (C/O Block No.37 i/c W.S & S.I)
संविदाकार का नाम:	M/s A.G. Construction
अनुबंध संख्या:	04 of 2014-15
कार्य आबंटन पत्र संख्या:	HB(SD-II)A-411/2014-1210-17 Dated: 19-7-2014
कार्य आरम्भ करने की तिथि:	13-8-2014
कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदत समय:	18 Months
चलत बिल:	01 to 10

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन M/s A.G. Construction को अधिशाषी अभियंता के पत्र संख्या: HB(SD-II)A-411/2014-1210-17 Dated: 19-7-2014 द्वारा आबंटित किया गया। कार्य पूर्ण करने हेतु 18 मास का समय प्रदान किया गया तथा ₹3,79,75,675.79 की लागत में कार्य निष्पादन हेतु आबंटित किया गया जो कि अनुमानित लागत से 31.95% अधिक था इस निर्माण कार्य के विस्तृत अंकेक्षण के दौरान निम्न आपतियां पाई गईं:-

(क) विक्री कर ₹3.30 लाख की कम कटौती करना:-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2015-लूज, दिनांक 03-6-2015 के अंतर्गत अधिसूचित तथा तदानुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार, दिनांक 06-6-2015 में प्रकाशित Himachal Pradesh Value Added Tax (3rd Amendment) Rules, 2015 के तहत नियम 38 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार अधिसूचना की तिथि से सभी निर्माण कार्य के

ठेकेदारों से 3% कर की कटौती की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न बिलों की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 3% अपेक्षित विक्री कर की कटौती करने के स्थान पर 2% विक्री कर की ही कटौती की गई परिणामस्वरूप ₹329966 की कम कटौती की गई जो कि पूर्णत: अनियमित एवं आपतिजनक है। यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-21/2018 दिनांक 26.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम कटौती की गई राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाये:-

चलत बिल सं0	माप पुस्तिक/ पृ0 सं0	बिल की तिथि	बिल की राशि	विक्री कर की अपेक्षित कटौती @ 3% (₹)	विक्री कर की कटौती @ 2% (₹)	कम कटौती
तृतीय	946/43	04-6-2015	4528420	135853	90568	45285
चतुर्थ	946/57	31-8-2015	3568650	107060	71373	35687
पंचम	946/73	02-11-2015	2026707	60801	40534	20267
षष्टम	950/72	23-5-2016	4236425	127093	84729	42364
सप्तम	879/77	17-7-2016	4385355	131561	87707	43854
अष्टम	830/66	07-11-2016	4512324	135370	90246	45124
नवम	830/91	30-11-2016	3868375	116051	77368	38683
दशम	916/83	13-2-2017	5870194	176106	117404	58702
			योग	**989895**	**659929**	**329966**

(ख) निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹1.32 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड-II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16-1-2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुबन्ध के अनुच्छेद 46 में संविदाकार द्वारा रायल्टी जमा करवाये जाने तथा अनुच्छेद 46(1) में रायल्टी से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान विनिर्दिष्ट हैं। अंकेक्षण के दौरान कार्य बिलों की जांच पर पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर 914.37 घनमीटर अर्थात 2203.63 टन (914.37X2.41) पत्थरों का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में रायल्टी के रूप में ₹60 प्रति टन की दर से कुल ₹132218 की वसूली करके उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न वर्णित विभिन्न कार्यों में उपयोग किये गये पत्थरों की प्रमात्रा के संदर्भ में चलत बिलों से न तो रायल्टी की राशि की कटौती की गई और न ही M Form अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-22/2018 दिनांक 26.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ जिसके सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा कम वसूली गई रायल्टी की राशि की प्राप्ति उचित स्त्रौत से करके सरकारी कोष में जमा कारवाई जाए

Name Of Item	Item no	Running Bill No	M.B.No & Page no	Quantity of item executed in (Cum)	Quantity of Stone used in Execution of Item (Quantity Executed X1.16 for R.R.Masonary	Quantity of Stone used in Execution of Item (Quantity executedX1. 10 For Stone filling)	Quantity of Stone used in Tones(Quantity of Stone X2.41)	Rate of Royality per tone (Rs)	Amount of Royalty (Rs)
R.R. Masonary in Foundation and plinth in 1:6	32	10 th	946/81	573.78	665.58	–	1604.05	60	96243
Stone Filling Behind Retaining wall	33	10 th	946/81	226.17	–	248.79	599.58	60	35975
				Total	665.58	248.79	2203.63		132218

(ग़) प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु ₹67.61 लाख का भुगतान बिना स्वीकृति/स्वीकृत दरों के करना ।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बंध में संविदाकार को किये गये भुगतान की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹67,61,373 का भुगतान दसवें चलत बिल तक प्रतिस्थापित मदों हेतु किया गया था। इन प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु पार्ट दर से भुगतान किया गया परन्तु न तो इन मदों के निष्पादन और न ही भुगतान की जा रही दरों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई। जबकि CPWD Manual के नियम 25.7 के अनुसार प्रतिस्थापित मदों हेतु निष्पादन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य थी ।अत: उक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of Item/Item No.	M.B. No.	Running Bill No.	Quantity of Extra/ Substitute Items	Rate	Amount
1	P/F Plain skirting/panelling with jointing (S.I.36)	946/82	10th	864.57sqm	1509.40	1304982
2	P/F Power coated aluminium penal sheet (S.I.66)	946/95	10th	1715.02sqm	2200	3773044
3	P/F Insulation double glass 21mm (S.I.67)	946/96	10th	304.49sqm	4554	1386647
4	P/F Sydency s-220 cat-92508 (S.I.72)	946/97	10th	10Nos	17220	172200
5	P/F 15mm c.p. brass sensor basin tap (S.I.76)	946/98	10th	12Nos	10375	124500

	Total	₹6761373

(घ) नियमों की अनदेखी करके "Work Done and Measured" के बदले में ₹9760 का अनियमित अग्रिम भुगतान बारे

CP WD Works Manual 2010 के Section 32.1(ii) के अनुसार Advance Payment for work done and measured के अनुसार " Advance payments to Contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by the Divisional Officers, on receipt of an application from the contractor for financial aid in the shape of part payment, shall make a lump-sum advance payment on Hand Receipt Form 28, subject to the following conditions:

The amount of Advance should not exceed 75% of the net amount of Bill under check .

उपरोक्त अग्रिम से संबन्धित वाऊचर का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को 11th running bill प्रस्तुत करने के उपरान्त **"Work Done and Measured"** के आधार पर वाऊचर संख्या 116 दिनांक 31.03.2017 द्वारा ₹2400000.00 प्रदान की गई थी। जबकि उपरोक्त कार्य से संबन्धित रनिंग बिल की माप पुस्तिका संख्या 943 पृष्ट 98 के अनुसार net amount of bill की ₹3186987 बनती है जिसके अनुसार संविदाकार को 75% of net amount of bill के आधार पर ₹2390240 (3186987 x75%) का भुगतान किया जा सकता था परन्तु संविदाकार को ₹9760 (2400000-2390240) का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही संविदाकारों को अग्रिम राशियो का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 वाऊचर संख्या 59 & 67 दिनांक 20.3.2017 ₹3069091/-

कार्य का नाम	**Housing Colony At sheel**
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	979/ 1-5
आबंटन पत्र संख्या	HBS(Sd-2)A469/2016- 2374-82 dated 26.8.2016
अनुबंध संख्या	2 of 2016-17
संविदाकार का नाम	Sh.Des Raj Thakur
रनिंग बिल संख्या	1st

(क) मद Excavation in foundation tranches की प्रमात्रा की तुलना में मद providing and laying CI Pipe की ज्यादा प्रमात्रा दर्शाने के कारण ₹16.05 लाख का अधिक भुगतान करना ।

निर्माण कार्य C/o Housing Colony at Sheel near Solan Distt. Solan (HP) under Partially Self Financing Scheme, SH: Providing and laying external Water supply &

Sewerage system and Construction of 1 No. 45 KLD & 1 No. 90 KLD Sewerage Treatment Plant के 1st चलत बिल की जांच पर अनुबंध की मद संख्या: (1) **Excavation in foundation tranches** व मद संख्या: 10(b) **Providing and laying CI Pipe 150 mm dia &** 10(c) **Providing and laying CI Pipe 200 mm dia** की तुल्नातमक पड़्ताल करने पर पाया गया कि खुदाई की प्रमात्रा 581.34 मीटर की तुलना में संविदाकार को 1243 मीटर C.I. पाईप हेतु भुगतान किया गया है। चुंकि खोदी गई भूमि में ही C.I. पाईप को भूमिगत रूप से Treatment Plant तक बिछाया जाना अपेक्षित था इसलिये जितने मीटर लंबाई तक भूमि की खुदाई की गई उतनी ही लम्बाई तक पाईप का भुगतान भी किया जाना चाहिये था । अतः इस प्रकार मद संख्या 10 (B) व 10 (C) में 661.66 मीटर (1243–581.34) की प्रमात्रा अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है जिसके कारण संविदाकार को ₹1605275 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 23/2018 दिनांक 28.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ जिसके सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

Sr. No	Description of item	M.B. No./ Page	Item No.	Quantity of item paid (Rmt)	Quantity of pipe should paid as per audit(Rmt)	Excess Quantity paid (Rmt)	Rate	Excess Amount paid (Rs)	Remarks
1	Excavation in foundation tranches for C.I. Pipes	979/1	01	581.34	-	-	-	-	Total Excavation in foundation tranches for C.I. Pipes paid for 581.34 R.M.T but Providing and laying CI Pipe 150 m.m. dia &200 m.m. dia paid for 1243 R.M.T (1017 Rmt+226 Rmt)
2	Providing and laying CI Pipe 150 m.m. dia	979/4	10(b)	1017.00	581.34	435.66	2310	1006375	
3	Providing and laying CI Pipe 200 m.m. dia	979/4	10(c)	226.00	nil	226	2650	598900	
3	**Total Excess payment**							**1605275**	

(ख) मद Excavation in foundation tranches की प्रमात्रा में चौड़ाई निर्धारित मापदण्डों से अधिक दर्शाने के कारण ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के 1st चलित बिल में अनुबंध की मद संख्या 1 i.e Excavation in foundation tranches for C.I. Pipe के संदर्भ में संविदाकार को 581.34 घन मी. हेतु भुगतान किया गया था। इस भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में CI Pipe के संदर्भ में CPWD specification से अधिक चौड़ाई का भुगतान किया गया था। CPWD Specification Rule 20.5.1 के अनुसार Excavation in foundation in tranches 150m.m. dia हेतु Trench की चौड़ाई nominal Dia of the pipe Plus 40 C.M. ली जानी आपेक्षित थी जबकि माप पुस्तिका संख्या 979 पृष्ठ 2 के अनुसार संविदाकार को 75 C.M. चौड़ाई हेतु भुगतान किया था। इस प्रकार संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹24416.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

MB No. P.No.	Qty Executed & Paid	Qty as per CPWD Specification	Excess Qty	Rate	Total Excess payment
979/2	581.34x0.75x 0.60=261.60 m3	581.34x0.55x0.60=191.84 m3(Width= Dia/10+40cm i.e 150/10+40=55c.m.)	69.76 m^3	350	**24416.00**
				Total	**₹24416.00**

(ग) नियमों की अनदेखी करके "Work Done and Measured" के बदले में ₹18.00 लाख के अनियमित भुगतान बारे

CP WD Works Manual 2010 के Section 32.1(1) Advance Payment for work done and measured के अनुसार "Advance payments to Contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by the Divisional Officers, on receipt of an application from the contractor for financial aid in the shape of part payment, shall make a lump-sum advance payment on Hand Receipt Form 28, subject to the following conditions

(1) The Bill in respect of which Advance is proposed to be made should actually be under check in the Division Office

उपरोक्त अग्रिम से संबन्धित वाऊचर का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को ist running bil प्रस्तुत करने के उपरान्त **"Work Done and Measured"** के आधार पर वाऊचर संख्या 59 दिनांक 20.03.2017 द्वारा ₹1800000.00 प्रदान की गई थी तथा वाऊचर संख्या 67 दिनांक 20/3/2017 द्वारा ₹1269091.00 संविदाकार को बिल की

बकाया राशि के रूप में भुगतान की गई जबकि उक्त निर्माण कार्य से संबन्धित माप पुस्तिका संख्या 979 पृष्ठ संख्या 1 के अवलोकन पर पाया गया की दिनांक 20.3.2017 को ही माप पुस्तिका में प्रविष्टि की गई तथा दिनांक 20.3.2017 को ही उप मण्डल द्वारा रनिंग बिल मण्डल को प्रेषित किया गया तथा मण्डल स्तर पर बिल की प्राप्ति पर एक ही दिन में दिनांक 20.3.2017 को ही संविदाकार को अग्रिम ₹1800000.00 का भुगतान किया गया तथा बिल की पड़ताल पश्चात संविदाकार को बकाया ₹1269091.00 का भी भुगतान किया गया यदि संविदाकार को बिल की पड़ताल पश्चात पूर्ण भुगतान किया जाना आपेक्षित था तो उस परिस्थिति में ₹1800000.00 अग्रिम भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्य में उपयोग किये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार₹6.25 लाख की रायल्टी की वसूली न करना ।

प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड-॥ (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16-1-2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुबन्ध के अनुच्छेद 46 में संविदाकार द्वारा रायल्टी जमा करवाये जाने तथा अनुच्छेद 46(1) में रायल्टी से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान विनिर्दिष्ट हैं। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न कार्य बिलों की जांच पर पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर 4321.03 घनमीटर अर्थात 1 0413.67 टन (4321.03X2.41) पत्थरों का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में रायल्टी के रूप में ₹60 प्रति टन की दर से कुल ₹624820 की वसूली करके उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न वर्णित विभिन्न कार्यों में उपयोग किये गये पत्थरों की प्रमात्रा के संदर्भ में चलत/अन्तिम बिलों से न तो रायल्टी की राशि की कटौती की गई और न ही फार्म एम0 अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 22/2018 दिनांक 26.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ जिसके सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹624820 सम्बन्धित से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Details of Royalty not Deducted from the various Work Bills

Sr. No.	Name of Work	Name Of Item	Item no	Running Bill No	M.B.No& Page no	Quantity of item executed in (Cum)	Quantity of Stone used in Execution of Item (Quantity Executed X1.16 for R.R.Masonary	Quantity of Stone used in Execution of Item (Quantity executedX1.10 For Stone filling)	Quantity of Stone used in Tones(Quantity of Stone X2.41)	Rate of Royality per tone	Amount of Royalty
1	Resenditaial complex Below B.C.S. phase-3 sec-6	R.R. Masonary in Foundation and plinth in 1:6	25	8th	975/66	2269.3	2632.39		6344.06	60	380644
2	P.S.F.S Kasumpti (Chaproti)	R.R. Masonary in Foundation and plinth in 1:6	6	5th	966/16	77.6	90.02		216.94	60	13016
3	P.S.F.S Kasumpti (Chaproti)	Stone Filling Behind Retaining wall	26	8th	975/66	172.39		189.63	457.01	60	27421
4	Const of P.H.C.At Basantpur	R.R. Masonary in Foundation and plinth in 1:6	24	2nd	997/8	299.86	347.84		838.29	60	50297
5	Const of P.H.C.At Basantpur	Stone Filling Behind Retaining wall	25	2nd	997/8	50.36		55.40	133.51	60	8011
6	Resenditaial complex Below B.C.S. phase-3 sec-5	R.R. Masonary in Foundation and plinth in 1:6	22	2nd	964/66	770.96	894.31		2155.29	60	129317
7	Resenditaial complex Below B.C.S. phase-3 sec-6	Stone Filling Behind Retaining wall	23	2nd	964/66	101.31		111.44	268.57	60	16114
योग							**3964.56**	**356.47**	**10413.67**	**60**	**624820**

11 विक्रीकर के रूप में ₹4.03 लाख की कम कटौती करना

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2015-लूज, दिनांक 03-6-2015 के अंतर्गत

अधिसूचित तथा तदानुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार, दिनांक 06-6-2015 में प्रकाशित Himachal Pradesh Value Added Tax (3rd Amendment) Rules, 2015 के तहत नियम 38 में संसोधन किया गया जिसके अनुसार अधिसूचना की तिथि से सभी निर्माण कार्य के ठेकेदारों से 3% कर की कटौती की जानी आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान कार्य बिलों की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों से 3% आपेक्षित विक्री कर की कटौती करने के स्थान पर 2% विक्री कर की ही कटौती की गई है जिसके परिणामस्वरूप बिक्रीकर की ₹402914 कम कटौती की गई यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 21/2018 दिनांक 26.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ जिसके सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹402914 की वसूली सम्बन्धित में की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

Detail of less deduction of Sales tax

Name of Work	**Agreement No**	**Running Bill No**	**Date of Bill**	**Amount of Bill**	**Sales tax @3% due for deduction from Running Bill**	**Sales tax @2% deducted from Running Bill**	**Less Deduction Of sales Tax**	**Remarks**
Repair &renovatiopn Of Co-oprative Bank (Hostel Bank)	5 of 2015-16	10th R.bill	2.3.2017	4713477	141404	94270	47134	Bill passed by M.B. No 991page 82
Resendtial Complex below B.C.S. Phase -3 sec-6	17 of 2015-16	1 to 8th. R.Bill	27.11.2015 to 31.3.2017	18984947	569548	379699	189849	Bill passed by M.B. No 975page 68
Const.of P.H.C. at Basantpur	17 of 2016-17	1st to 2nd R.Bill	18.01.17 to 31.03.2017	2606125	78184	52123	26061	Bill passed by M.B. No 997page 9
Resendtial Complex below B.C.S. Phase -3 sec-6	10 of 2016-17	1st to 2nd R.Bill	29.12.2016 to31.03.2017	5747251	172418	114945	57473	Bill passed by M.B. No 964page 69
Housing Colony at Basal Phase-2 (Const.of Shops cum Flat)	6 of 2013-14	9th&10th R.Bill	21.8.2015 & 6.3.2017	1914505	57435	38290	19145	Bill passed by M.B. No 954page 61

Const.of G.H.S Daroti	2 of 2014-15	2nd to 4th R.Bill	8.1.2016 to 31.3.2017	3223418	96703	64468	32235	Bill passed by M.B. No 870page 95
Housing Colony at Sheel	12 of 2016-17	1St running Bill	20.3.2017	3101664	93050	62033	31017	Bill passed by M.B. No 979 page 06
						योग	**₹402914**	-

12 निर्माण कार्य बिल से प्रतिभूति की कम कटौती किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3413 का अनुचित लाभ दिये जाने बारे।

वाऊचर संख्या 92 दिनांक 27.3.2017 ₹65923/-

कार्य का नाम	P.S.F.S Kasumpti Chaproti/Metling and Tiring balancve work.
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	966/19
आबंन पत्र संख्या	HBS(Sd-2)428/2015-173-81 dated 21.4.2015
अनुबंध संख्या	I of 2015-16
संविदाकार का नाम	Baldev Sharma
रनिंग बिल संख्या	1st to 5th

उपरोक्त वाऊचर से संविदाकार को **P.S.F.S Kasumpti Chaproti/Metling and Tiring balance work.** "हेतु ₹2776469/-(**1st to 5th** तक) का भुगतान किया गया था। इस भुगतान वाऊचर व माप पुस्तिका की जाँच में पाया कि इस निर्माण कार्य में संविदाकार से प्रतिभूति के रूप में ₹3413 की कम कटौती की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अनुबन्ध की शर्त 10 के अनुसार ₹2 लाख तक तक 10% व ₹3 लाख से ₹5 लाख तक 7.5% तथा ₹5 लाख से ₹50 लाख तक 5% प्रतिभूति (Security) की राशि की कटौती की जानी आपेक्षित थी जिसके अनुसार संविदाकार से प्रतिभूति के रूप में कुल ₹156323 की राशि की कटौती की जानी अपेक्षित थी जबकि मण्डल द्वारा ₹152910 की कटौती की गई इस प्रकार ₹3413 (₹156313–₹152910) कम कटौती की गई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

Running Bill No	Gross amount of of Bill	Amount of Security due for deduction	Amount of Security Deducted	Less amount of Security Deducted
1st to 5th	2776469	156323	152310	3413

13 वाऊचर संख्या 16 दिनांक 2.03.2017 ₹2674172.00

निर्माण कार्य का नाम	Repair & Renovation of Coop. Bank Complex at ACSTI, Sanghti(SH:Renovation of Hostel Block, Admin Block, Faculty Block Glass House)
संविदाकार का नाम	M/S AG Construction
अनुबंध सं.	05 of 2015-16
चलित बिल	10th

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन M/S AG Construction को अधिशाषी अभियन्ता के पत्र संख्या HBS(SD-II)A-432/2015-395-403 दिनांक 01.05.2015 समय अवधि 12 माह के लिये किया गया था

(i) M .S. flate 50x5 हेतु गलत conversion Factor लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 31 i.e "Steel Work Welded" के संदर्भ में ₹ 2241 का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 31 i.e "Steel Work Welded" के सम्बन्ध में निष्पादित एवं संविदाकार को भुगतान की गई मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि 9 th चलित बिल में MB No. 991 पृ.सं.11 (Abstract) और MB No. 986 पृ.सं.77 (Record) में **M .S. flate 50x5 हेतु Conversion factor 3.8 kg** प्रति रनिंग मीटर लिया गया था। जबकि निर्माण के लिए तय मापदण्डो के अनुसार **M .S. flate 50x5 हेतु Conversion factor 2 kg** प्रति रनिंग मीटर लिया जाना आपेक्षित था। **Conversion factor** अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को **₹2241** का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विवरण निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया हैं। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB/P.No.	Qty. of M.S.flate 50x5 in running mtr	Conversion Factor taken per running. Mtr (Kg)	Conversion factor as per Rules per Running mtr (Kg)	Excess convesion factor taken per Running Mtr(kg)	Total Excess Qty in Kg paid to Contractor	Rate as per agree ment	Total Excess payment (₹)
991/11	16.6	3.8	2	1.8	29.88 (16.6x1.8)	75.00 per kg	2241
						Total	**2241.00**

(ii) अनुबन्ध की मद संख्या 46 i.e Distempering one coat with oil bound distemper" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 45 i.e "Removing white wash, door wash dry distemper की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण ₹1049 का अधिक भुगतान।

उपरोक्त निर्माण कार्य के दसवें चलित बिल की जाँच में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 45 i.e "Removing white wash ,door wash dry distemper की मात्रा अनुबन्ध की मद संख्या 46 i.e Distempering one coat with oil bound distemper" की तुलना में अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹1049 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है क्योंकि जिस क्षेत्र मद संख्या i.e. Removing white wash ,door wash dry distemper की मात्रा execute की जानी थी उसी क्षेत्र में Distempering one coat with oil bound distemper" की मात्रा execute की जानी आपेक्षित थी जिस कारण अनुबंध की मद संख्या 45 Removing white wash ,door wash dry distemper व 46 Distempering one coat with oil bound distemper" की मात्रा आपस में बराबर होनी आपेक्षित थी परंतु अनुबंध की मद संख्या 45 Removing white wash ,door wash dry distemper की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹1048 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है । अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Abstract M.B. No	**Quantity of Item No 45 Removing white wash ,door wash dry distemper**	**Quantity of Item no 46 Distempering one coat with oil bound distemper"**	**Excess quantity of item no 45 Taken in Compare to Item no 46**	**rate**	**Excess Amount (Rs)**
991/54	3264.10 m2	3114.31 m2	149.79 m2	7 per m2	1048.53

(iii) **सीमेंट की आवश्यकता से अधिक मात्रा जारी करने के कारण ₹1.62 लाख का अनुचित लाभ दिए जाने बारे**

माप पुस्तिका संख्या 991 पृष्ट 82 के अवलोकन पर पाया गया की 10 th चलित बिल तक संविदाकार को ₹162180 मूल्य के सीमेंट की मात्रा को आवश्यकता से अधिक जारी किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है अनुबन्ध की क्लॉज़ 42(1) के अनुसार The contractor shall see that only the required quantaties of materials are issued परन्तु उक्त क्लॉज़ की अनदेखी करते हुए सीमेंट की मात्रा आवश्यकता से अधिक जारी करना अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है जिस बारे तथ्यो सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा साथ ही सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त क्लॉज़ कि अनुपालना करते हुए आवश्यकता अनुसार ही सीमेंट को जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

Cement issued up	**Recovery made up**	**Less recovery of**	**Issue rate**	**Amount of excess**

to 10th Running Bill	**to 10th Running Bill**	**cement up to 10th Running Bill**		**issue of cement b cement**
2365 bag	1600 bag	765 bag	212 per bag	162180

14 **वाऊचर संख्या 42 दिनांक 6.3.2017 ₹500000/-**

कार्य का नाम	Housing Colony at Basal
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	954/2015 -18 to 64
अनुबंध संख्या	6 of 2013-14
संविदाकार का नाम	M.L.Gupta
रनिंग बिल संख्या	10th

₹0.18 लाख के सीमेंट का अधिक प्रतिदाय (Refund)

निर्माण कार्य i.e.Housing Colony at Basal (Solan) PR-II (SH: C/o Shops cum Flats in 1 No. Bloch i.e. 6 Nos. Shops, Flats i/c WS & SI) के माप पुस्तिका संख्या 954/2015 पृ0 18 से 64 पर दर्ज दसवें चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को विभिन्न indents के तहत 6455 बैग सीमेंट जारी किया गया था परन्तु उपभोग विवरणी (Consumption statement) के अनुसार स्थल पर 6340 बैग सीमेंट का उपयोग किया गया था, जबकि शेष 115 अप्रयुक्त बैग जी0आर0 281/24-6-2016 के अन्तर्गत हिमुडा को वापिस लौटाये गये चूकिं नवम चलत बिल तक केवल 6355 बैग के लिये ₹1335313 (6355X204+3%) की ही वसूली संविदाकार से की गई थी जो कि वास्तविक उपयोग के आधार पर अपेक्षित वसूली से भी ₹3152 (1335313-13321611=(6340X204+3%)) अधिक थी इस प्रकार दसवें चलत बिल में मात्र ₹3152/- की ही वापिस आदायगी संविदाकार के पक्ष में की जानी अपेक्षित थी जबकि संविदाकार को ₹3152 के स्थान पर ₹21152 सीमेन्ट वसूली के प्रतिदाय (Refund) के रूप में भुगतान किये गये जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹18000 (21152-3152) का अधिक भुगतान किया गया जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

15. वाऊचर संख्या 113 दिनांक 31.03.2017 ₹ 1250000.00

निर्माण कार्य का नाम	Residential complex Below B.C.S phase-3 Sec-6
संविदाकार का नाम	Sh. M.L.Gupta
अनुबंध सं.	17 of 2015-16
चलित बिल	8th Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 65 से 67 of MB No. 975

(i) अनुबंध की मद संख्या 27 i.e. Prov. Wood work in Frames of Doors & window की मात्रा /क्षेत्र को अनुबंध की मद संख्या 21 i.e Brick work 2nd class Comoon Burnt से न घटाने के कारण संविदाकार को ₹6287 का अधिक भुगतान।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध की मद संख्या 27 i.e.“**Prov. Wood work in Frames of Doors &window** के संदर्भ में 8th Running Bill तक कुल **1.813 m3** कार्य मात्रा **₹89000** प्रति m3 की दर से निष्पादित एवं भुगतान की गई थी। इस निर्माण कार्य की अनुबन्ध की मद संख्या 15 i.e. “Brick Work” (MB No. 975 पृ. 67) की जाँच करने पर पाया गया कि Door in Frames की मात्रा को Brick Work की मात्रा से नहीं घटाया गया था चूंकि जिस स्थान पर Door की मात्रा का निष्पादन किया गया उस स्थान पर Brick Work नहीं किया जाना अपेक्षित था जिससे संविदाकार को Brick Work हेतु ₹6287 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस गलत भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Abstract of Cost MB	**Record MB No.**	**Deduction of Bricks work which was not made**	**Rate of Brick Work**	**Excess Payment (Rs)**
975 P.No. 67	996 P.No.3-	D=2x1x1.05x2.10x0.23 =1.014 m3	6200	1.014 m3x6200=6287
Total				**Rs 6287**

(ii) अनुबंध की मद संख्या 14.3(c) providing /laying Cement concrete having Strenth M-20 mixed design in suspended floor की मात्रा का बिना form वर्क किए जाने के कारण संविदाकार को ₹6283 का अधिक भुगतान।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध की मद संख्या 14.3(c) i.e. providing /laying Cement concrete having Strenth M-20 mixed design in suspended floor के संदर्भ में 8th Running Bill तक कुल **109.27 m3** कार्य मात्रा का **₹6100** प्रति m3 की दर से निष्पादित एवं भुगतान किया गया था इस निर्माण कार्य की पड़ताल पर पाया गया कि उपरोक्त मद हेतु बिना form work के भुगतान किया गया जो कि अनियमित ही नही अपितु आपतिजनक भी है बिना form work के उपरोक्त मद हेतु भुगतान नही किया जा सकता चूंकि form work के पश्चात ही उपरोक्त मद का निष्पादन किया जा सकता था अत: बिना form work के उपरोक्त मद हेतु **₹6283** के भुगतान जिसका विवरण नीचे दिया गया है को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Abstract of Cost MB	**Record MB No.**	**Quantity of m-20 of mixed design paid without Form work**	**Rate of m-20 design**	**Excess Payment (Rs)**
975/65	996/8	ColumF7-F8 =1.2.64x0.30x0.45=0.36m3	6100	2196
975/65	996/8	ColumF9,E11,E 12= 6.45x0.45x0.23 =0.67m3	6100	4087

Total		**Rs 6283**

16 सेवाकर ₹45.24 लाख के समायोजन/जमा से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण में विभिन्न खातों (Ledgers पृष्ठ संख्या 214) की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा समायोजन वाउचर संख्या J-19 दिनांक 31.3.2017 द्वारा सेवाकर **₹4523573** समायोजन/**जमा** किया गया दर्शाया गया परन्तु यह राशि सेवाकर खाते में credit/जमा नहीं थी अर्थात बिना Credit/कटौती के ₹4523573 का समायोजन **/जमा** किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं अत: Service Tax की राशि को बिना कटौती के जमा करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण मैं आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 बिना उचित बिल/वाउचरों के ₹16.85 लाख के अग्रिम का अनियमित समायोजन करना

वर्ष 2016-17 के स्टोर से सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित समायोजन वाऊचरों द्वारा **₹1685285/-** का विभिन्न फर्मों के नाम समायोजन किया गया था। परंतु समायोजन से संबन्धित बिल वाऊचर जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था समायोजन वाऊचरों के साथ संलग्न नहीं थे, समायोजन वाऊचरों में केवल GR संख्या अंकित की गई थी साथ ही संबन्धित GR के साथ भी बिल वाऊचर संलग्न नहीं थे,जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। बिना बिल वाऊचर प्राप्त किए ही अग्रिम राशियों का समायोजन करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। अत: बिना बिल वाऊचर प्राप्त किए **₹1685285/-** की अग्रिम राशियों का समायोजन किये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी अग्रिम राशियों से संबन्धित बिल वाऊचर,ए.पी.आर. इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा भविष्य में अग्रिम राशियों के समायोजन वाऊचर में बिल वाऊचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए।

माह	समायोजन वाऊचर संख्या	समायोजित की गई राशि	GR संख्या जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था।
3/17	J-13	100968.00	523 dt 28.2.2017(Cement 400 bag)
3/17	J-13	50484.00	524 dt 2.3.2017(Cement 200 bag)
3/17	J-13	100968.00	525 dt 3.3.2017(Cement 400 bag)
3/17	J-13	50484.00	526 dt 15.3.2017(Cement 200 bag)
3/17	J-13	50484.00	527 dt 16.3.2017(Cement 200 bag)
3/17	J-13	237275.00	530 dt 16.3.2017(Cement 940 bag)
3/17	J-13	378630.00	531 dt 16.3.2017(Cement 1500bag)
3/17	J-13	75726.00	532 dt 16.3.2017(Cement 300 bag)
3/17	J-13	237275.00	530 dt 16.3.2017(Cement 940 bag)
3/17	J-15	156348.00	272 dt 27.3.2017(Cement 600 bag)
3/17	J-15	104232.00	273 dt 29.3.2017(Cement 400bag)

3/17	J-16	82805.00	528 dt 17.3.2017(1.990 m.t.)
3/17	J-16	59606.00	529 dt 18.3.2017(Steel 1.073m.t)
Total		**1685285.00**	

18 कालातीत प्रतिभूति ₹0.16 लाख को जब्त न करने के कारण निर्माण मण्डल को हानि

CPWD Works Manual 2003 के नियम 21.7 के अनुसार "The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the right to due accures? In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to due would accrue under Clause 17 after the maintenance period or payment of final bill whichever is later".

उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अंतर्गत रखरखाव हेतु निर्धारित अवधि या अंतिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद दावा कर सकता हैं । परंतु इस अवधि की समाप्ति के उपरांत यदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security का दावा प्रस्तुत नहीं करता तो वह Security कालातीत मानी जायेगी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत Security की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मण्डल के पास ₹16000 जिसका विवरण नीचे दिया गया निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी संविदाकार/ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया था । इस प्रकार के मामले पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन मैँ भी उठाये गए थे परंतु मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही अमल मैँ नहीं लाई गई अत: यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता हैं और साथ ही यह परामर्श भी दिया जाता हैं की इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करने के उपरांत कालातीत हो चुकी संविदाकार/ठेकेदार की Security की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार जब्त किया जाए और निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Name of Work	Name of Contractor	Earnest money Register Page no	Amount of F.D.R	Detail Of F.D.R/F.D.R N0
Const.of 42 nos EWS Flats & 48 No Mig Flats Phase-1	Sh. Waliati Ram Gupta	27	16000	E000904 dated 3.9.1997

19 वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर. आर. मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान

निर्धारित निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर. आर. मैसनरी के भुगतान के समय आर. आर. मैसनरी की देय मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की

कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्स को लगाने के स्थान पर आर. आर. मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। निम्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर. आर. मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार संविदाकारों को ₹12821.00 आर. आर. मैसनरी के लिए अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Name of Work	Running Bill No.	MB No. /P. No.	Qty. of Weep Hole Paid	Qty. of Weephole in cubic metre that should be deducted from the Qty. of RR Masonary	Rate of RR Masonary Paid to Contractor per cubic metre	Total Excess payment paid to Contractor
Resenditial Complex below B.C.S Phase-3 Sec-6	**8th**	975 पृ.सं. 68	465.52RMT	3.65घन मी. (22/7X0.05X0.05 X465.52) RMT]	₹3050 प्रति घन मी.	**₹11132** [3.65घन मी. X ₹3050]
Const.of P.H.C Basantpur	**2nd**	997 पृ.सं. 9	69.90 RMT	0.549घन मी.[22/7X0.05X0.05 X69.90. RMT]	₹3077 प्रति घन मी.	**1689.00** [0.549घन मी. X ₹3077.00]
	Total					**₹12821.00**

20 निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के संबंध में लकड़ी खरीद से सम्बन्धित बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न करना

अनुबंध की General Specification & Conditions की 13 सं. पर वर्णित शर्त के अनुसार "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work"

निम्न निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध की मद **"Providing wood work in frames of Doors,windows etc."** हेतु. **₹661807** का भुगतान संविदाकारों को किया गया था। इस मद के निष्पादन में प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी की खरीद के संबंध में संविदाकारों द्धारा प्रस्तुत कोई बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अत: अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी खरीद का बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने से पूर्व लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को **₹661807 के** भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से संबन्धित अभिलेख संविदाकारों से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr. No	Name Of Work	Voucher no / Date	M.B. No /page No	Name of Running	Qty of Wood	Rate	Amount

				Bill	Executed		
1	Const. of Commercial Complex at Kasumpti Block No 37	56/17.02.2017	946/82	10th.	5.317 m3	85000	451945
2	Resenditaial complex Below B.C.S. phase-3	113/31.03.2017	975/67	8th	2.358 m3	89000	209862
						Total	**661807**

21 E.Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए निर्माण कार्यों का उनकी आबंटित लागत (**Awarded Cost) और अनुमानित लागत (Estimated cost/Threshold Value) का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण सभी निर्माण कार्यों को E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए जाने बारे।**

हिमुड़ा के पत्र संख्या HIMUDA/CE/Design/ e-procurement/2013 दिनांक 7-8-2013 के अनुसार ₹40 लाख से अधिक के निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से कार्य का आबंटन किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016 -17 के दौरान जो निर्माण कार्य E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए थे उनकी Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम था। E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 27.12% से 40.77 % **Above** था। जबकि अन्य निर्माण कार्य जो Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये थे, का प्रतिशत 44.41% से 58.21% **Above** था। जिससे यह प्रतीत होता है की जो निर्माण कार्य E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए जा रहे है उनका आबंटन मूल्य Manual Tendering की तुलना में कम था । अत: यह प्रकरण हिमुड़ा के उच्च अधिकारियों के ध्यान मे इस आशय के साथ लाया जाता है कि निर्माण मण्डल के सभी निर्माण कार्यो का आबंटन E–Tendering प्रणाली के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उपरोक्त पत्र द्धारा निर्देशित ₹40 लाख की सीमा को कम किया जाना चाहिए । जिससे निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर किया जा सके जिससे निर्माण कार्य की लागत कम हो सके।

Sr.No.	Name of Work	Year of Allotment	Estimated Cost/Threshold Value	Awarded Amount	% Above or Below the Estimated Cost/Threshold Value	Type of Tender
1	Const.of Residential Complex Below B.C.S Phase -3 Sub Head c/o 8 no	2016-17	9005174	12676333	40.77%	E-Tender

	one B.H.K. Flat block Nop 26-a					
2	Const.of 14 no Health centre and 6 No. P.H.C at Basantpur	2016-17	5512635	7092596	28.66%	E-Tender
3	Const.of Police Building under Modernization of Police Force Sub Head const of 6 no Type -2 Quarter Darlaghat	2016-17	5844070	7428907	27.12%	E-Tender
4	Const.of Infrastructure i.e. 57 no school Building sub head Const. of school Building at G.H.S chamenji	2016-17	2660306	4007227	50.63%	Manual Tender
5	Const.of Infrastructure i.e. 57 no school Building sub head Const. of school Building at G.H.S Malhoti	2016-17	2134787	3082763	44.41%	Manual Tender
6	Const.of Infrastructure i.e. 49 no school Building sub head Const. of school Building at G.H.S Dahan	2016-17	1242136	1965219	58.21%	Manual Tender
7	Const.of Infrastructure i.e. 57 no school Building sub head Const. of school Building at G.H.S chhogtati	2016-17	1958696	3039288	55.17%	Manual Tender

22 ₹308.59 लाख के निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को उनकी तय अवधि के दौरान पूर्ण नहीं किया जा रहा था। ऐसे निर्माण कार्यों जिन्हे दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण नहीं किया जा सका **का विवरण नीचे दर्शाया** गया है निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक और निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती हैं वही दूसरी और यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हैं। अत: निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही एवं विशेष ध्यानार्थ हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता हैं।

Name of Work	Date of Allotment	Awarded Amount	Time period	Due date of Completion	Present status	Whether extension granted or not
8 no cat-1 flats with parking Floor below B.C.S phase -3	16.8.2015	30859022	18 months	15.2.2017	90 % work Completed	Extension neither

part-ii Sector -6 Agr. No. 17 of 2015-16						Applied nor Granted

23 ₹867.37 लाख के निष्पादित निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों को अनावश्यक रूप से विलम्ब से तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलो (**Final Bill) को कार्यों पूर्ण करने के पश्चात भी अनावश्यक रूप से विलम्ब से तैयार किया जा रहा है** ऐसे निर्माण कार्यों को अवधि 3.2.2016 से 15.5.2016 के दौरान पूर्ण किया जा चुका है परंतु वर्तमान अवधि तक अन्तिम बिलो का भुगतान नहीं किया गया जिसका **विवरण नीचे दर्शाया** गया है ऐसे निर्माण कार्यों के **Final Bill को अनावश्यक रूप से विलम्ब किए जाने से** निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता में भी प्रश्न चिन्ह लगाता हैं। अत: निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने के पश्चात भी **अनावश्यक रूप से विलम्ब** करने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही एवं विशेष ध्यानार्थ हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता हैं।

Name of Work	Date of Allotment	Awarded Amount	Time period	Due date of Completion	Present status	Remarks
Commercial complex at kasumpti Block No 37 Agr. No. 4 of 2014-15	4.8.2014	37975676	18 months	3.2.2016	Work completed.	Final bill not Passed
R.C. Below BCS, Ph-III, Sector-VI, New Shimla (SH:- C/O 16 Nos. CAT-IV flats between Block No. 7 & 12) Agr. No. 7 of 2014-15.	17.9.2014	12319510	18 months	16.3.2016	Work completed.	Final bill not Passed
Repair & renovation of Co-operative Bank Complex at ACSTI, Shangti, Summer Hill Shimla-5 (SH:- B/Wall, R/Wall Chain linked fencing etc.) Agr. No. 16 of 2014-15.	22.2.2015	9624606	18 months	26.8.2016	Work Completed	Final bill not Passed
Repair & renovation of Co-operative Bank Complex at ACSTI, Shangti, Summer Hill Shimla-5 (SH:- Renovation of Hostel Block, Admn Block, Faculty Block, Glass House). Agr. No. 16 of 2014-15	16.5.2015	26817499	One year	15.5.2016	Work completed	Final bill not Passed
		86737291				

24. **अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों में ₹126.33 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–**

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार **"No deviation is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority".** परन्तु परिशिष्ट "ख" में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलो की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न चलित बिलों में निम्न मदों के सम्बन्ध में अनुबंध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा हेतु कार्य निष्पादित एवं भुगतान किया जा चुका था। परिणामस्वरूप इन मदों पर विभिन्न चलित बिलों तक ₹12632712.57 का अधिक व्यय किया जा चुका था, जो कि अनुबंध की मान्य शर्तो का सीधा उल्लंघन था। अत: अनुबंध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान संविदाकारों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

25 **संविदाकारों को जारी सामग्री के मूल्य ₹21.09 को उनकी खाता बहियों को Debit न किया जाना**

संविदाकार की खाता बहियों एवं संबन्धित इंडेंट (Indents) की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार की खाता बही में उसे जारी किए गए सीमेंट/स्टील के मुल्य से डेबिट नहीं किया गया था। ऐसा न किए जाने के कारण संविदाकार की खाता बही को निम्नविवरणानुसार ₹2109184 से डेबिट नहीं किया गया था। अत: संविदाकार की खाता बही को जारी किए गए सीमेंट/स्टील के मूल्य से डेबिट न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

Name of Work	Date & Indent No.	Name Of Article Issued	Qty issued as per Indent	Issue Rate (Including Stores Charges)	Total (R.s)
Commercial Complex Kasumpti	9.9.2016 /2941	Cement	8 bag	259.99	2080
P.H.C at Basantpur	26.12.2016/3012	Cement	200 bag	259.99	51998
Commercial Complex B.C.S Phase-3	1.1.2017/3084	Cement	200 bag	259.99	51998
Commercial Complex B.C.S Phase-3	15.1.2017/3017	Cement	200 bag	259.99	51998
Commercial Complex kasumpti block no 37	31.1.2017/H.S.N 27	Cement	60 bag	259.99	15599
Resenditial complex B.C.S Phase-3	30.1.2017/3086	8mm steel	1.393mt	48664.72	67790
Resenditial complex B.C.S	17.2.2017/3087	8mm steel	0.935mt	48664.72	42543

Phase-3					
Resenditial complex B.C.S Phase-3	18.2.2017/3088	8mm steel	2.777mt	48664.72	135142
Resenditial complex B.C.S Phase-3	17.2.2017/3087	10mm steel	0.706mt	45987.44	32467
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.2.2017/3019	cement	200 bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.2.2017/3019	10mm steel	0.604mt	45987.44	27776
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.2.2017/3083	cement	400 bag	259.99	103996
Resenditial complex B.C.S Phase-3	3.3.2017/3085	cement	400 bag	259.99	103996
Resenditial complex B.C.S Phase-3	4.3.2017/3023	cement	170bag	259.99	44198
Resenditial complex B.C.S Phase-3	18.3.2017/3091	cement	200bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3	18.3.2017/3091	8mm steel	1.793mt	48664.72	87256
Resenditial complex B.C.S Phase-3	18.3.2017/3091	25mm steel	2.162mt	44931.69	97142
P.H.C at Basantpur	18.3.2017/3024	Cement	200 bag	259.99	51998
P.H.C at Basantpur	18.3.2017/3024	8mm steel	0.978mt	47120.44	46084
P.H.C at Basantpur	18.3.2017/3024	10mm steel	0.198mt	45987.44	9106
P.H.C at Basantpur	18.3.2017/3024	16mm steel	0.998mt	44931.69	44842
P.H.C at Basantpur	18.3.2017/3024	20mm steel	0.919mt	44931.69	41292
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.3.2017/3025	cement	220bag	259.99	57198
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.3.2017/3025	cement	200bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.3.2017/3025	12mm steel	1.990mt	44931.69	89414
Resenditial complex B.C.S	20.3.2017/3028	cement	400bag	259.99	103996

Phase-3					
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.3.2017/3028	cement	400bag	259.99	103996
Resenditial complex B.C.S Phase-3	20.3.2017/3028	cement	400bag	259.99	103996
Commercial Complex kasumpti block no 37	10.3.2017/H.S.N 29	Cement	120 bag	259.99	31199
P.H.C at Basantpur	16.3.2017/3027	Cement	200 bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3 8 no flat	13.3.2017/3031	Cement	200 bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3 8 no flat	13.3.2017/3089	Cement	400 bag	259.99	103996
Resenditial complex B.C.S Phase-3 8 no flat	13.3.2017/3093	Cement	200 bag	259.99	51998
Resenditial complex B.C.S Phase-3 8 no flat	13.3.2017/3093	8 mm steel	1.997 mt	47120.44	94100
				Total	**2109184**

26 ₹9.80 लाख की प्रतिभूति राशि को अपेक्षित देय तिथि से पूर्व अनियमित रूप से भुगतान करना:-

अनुबन्ध के अनुच्छेद 17 में जमा प्रतिभूति राशियों को संविदाकारों के पक्ष में भुगतान का प्रावधान निम्न प्रकार से दिया गया है:-

"...............The Security deposit of the contractor (except the portion pertaining to asphaltic work which is governed by sub-para (iii) of clause 35) shall not be refunded before the expiry of 6 months (six months) in case of any work other than road work costing Rs. 40,000 and below after the issue of the certificate final or otherwise of completion of work or till the final bill has been prepared and passed **whichever is later**."

अंकेक्षण के दौरान प्रतिभूति राशि के भुगतान से संबन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹979930 की जमा प्रतिभूति राशि को विभिन्न संविदाकारों के पक्ष में अनुबन्ध के उपरोक्त अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रावधान की अवहेलना करते हुये निर्माण कार्य के पूर्ण होने से पूर्व अथवा देय तिथि से पहले ही भुगतान कर दिया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अत: समयपूर्व भुगतान की गई इन राशियों को न्यायोचित ठहराया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही जमा प्रतिभूति राशियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

Vr. No.	Dated	Name of Work/ Agreement. No.	Name of the Contractor	Date of completion of work	Date of final payment	Date of release of Security	Amount of Security released
79	24-3-2017	Repair & Renovation of Co-op Bank Sangti/05 of 2015-16	M/s A.G.Const.	Work in Progress	-	-	610033
115	31-3-2017	M/T Chhabroti/10 of 2015-16	Sh. Baldev Sharma	30-8-2015	24-3-2017	31-3-2017	38227
118	31-3-2017	BCS Block No. 12B/ 17 of 2015-16	M/s M.L Gupta & Associates	Work in Progress	-	-	252610
119	31-3-2017	C/o Shops & Flats at Basal/06 of 2013-14	M/s M.L Gupta & Associates	Work in Progress	-	-	79060
TOTAL							**₹979930**

27 निर्माण कार्य को तय समयावधि में कार्य पूर्ण न करने के लिए अनुबंध के अनुच्छेद 2 के तहत दण्ड की वसूली हेतु कार्यवाही न करना

यदि किसी संविदाकार द्वारा आबंटित कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं किया जाता तो अनुबंध के अनुच्छेद 2 में उस संविदाकार पर दण्ड लगाये जाने का प्रावधान विनिर्दिष्ट है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न कार्य बिलों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकारों द्वारा आबंटित कार्यों को निर्धारित समयावधि तक पूर्ण न करने व हिमुडा द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदान किये गये समय में बढ़ौतरी न करने के बावजूद भी हिमुडा द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत दण्ड की वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई यह प्रकरण अधिशाषी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–24/2018 दिनांक 28.2.2018 द्वारा उठाया गया जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उतर प्राप्त नही हुआ जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

Detail of work neither completed within stipulated period nor Extension of time granted							
Name of Work	**Agreement No.**	**To whom awarded**	**Awarded Amount**	**Dare of award**	**Stipulated period**	**Due date of completion**	**Remarks**
C/o Commercial Complex, Block no. 37	04 of 2014-15	M/s A.G. Construction	37975676/-	19-7-2014	18 months	02-2-2016	Extension from 03-2-2016 to till date not applied/granted

Repair and Renovation of Co-op Bank Sangti, Shimla-5 SH: Renovation of Hostel Block	05 of 2015-16	M/s A.G. Construction	26817499	01-5-2015	12 months	15-5-2016	Extension from 16-5-2016 to till date not applied/granted
Residential Complex below B.C.S. Phase-3, Sec-6	17 of 2015-16	M.L. Gupta	30859023	01-8-2015	18 months	15-2-2017	Extension from 16-2-2017 to till date not applied/granted

28 अनुरक्षण प्रभार ₹2.21 लाख देय सेवा कर की मांग व वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक मण्डल ने दिनांक 08-7-2015 को आयोजित अपनी बैठक में हिमुड़ा द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं/कार्यो पर समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार वर्ष 2007-08 से सेवा कर आरोपित करने का निर्णय लिया जिसके कार्यान्वयन हेतु हिमुडा के विभिन्न अनुभागों को मुख्य लेखा अधिकारी के पत्र संख्या: 13797-808 दिनांक 20-7-2015 द्वारा निर्देश परिचालित किए गये थे। उपरोक्त पत्र में सेवा कर हेतु चिन्हित 16 मदों के क्रम 03 में दर्शाए गए अनुरक्षण प्रभार पर भी सेवा कर की प्राप्ति की जानी अपेक्षित है परन्तु **परिशिष्ट "ग"** दर्शाये गये विवरण के अनुसार उप-मण्डल सोलन द्वारा आवास आबंटन की तिथि से दिनांक 15-6-2015 तक विभिन्न व्यक्तियों से अनुरक्षण प्रभार के साथ ₹220774 सेवा कर की मांग व वसूली नहीं की गई है जिसके सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उपरोक्त राशि की अविलम्ब वसूली सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

29 वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹0.34 लाख की वितीय हानि बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: जी0ए0डी0-ए(डी)-1 -98 दिनांक 21.1.97, जी0ए0डी0-(ए)-1-1/96 दिनांक 04-2-2006 तथा जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96-1 दिनांक 14-7-2014 द्वारा सरकार ने महिन्द्रा स्कॉर्पियो की डीजल की औसत खपत निम्न निर्धारित की है:-

वाहन **स्थानीय यात्रा प्रति लीटर** **लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर**

महिंद्रा स्कोर्पियो	06.28 कि0मी0	09.22 कि0मी0

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वाहनों के संचालन के सम्बंध में औसत किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत हेतु निर्धारित उपरोक्त मापदण्ड अन्य विभागों/बोर्डों की तरह हिमुडा पर भी अक्षरश: लागू होते हैं तथा इन मापदंडों को लागू करने के लिये सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किये गए हैं । जांच में पाया गया है कि इन अनुदेशों की पालना नहीं हो रही है जिसके कारण ईंधन की अधिक खपत होने कारण निम्न विवरणानुसार ₹33989 की वित्तीय हानि हुई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

गाड़ी नं0:– महिन्द्रा स्कॉर्पियों एच0पी0–03 सी–0030

माह	माह के दौरान तय दूरी	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (लॉगबुक में माहवार तय कुल दूरी को स्थानीय यात्रा व लम्बी दूरी की यात्रा को पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया है इसलिये जी0ए0डी0 द्वारा लम्बी दूरी हेतु निर्धारित औसत के आधार पर	ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
4/2016	1572	**212**	**170.50**	41.50	49.23	**2043**
5/2016	2168	**288**	**235.14**	52.86	52.09	**2753**
6/2016	2638	**351**	**286.12**	64.88	55.59	**3607**
7/2016	329	**44**	**35.68**	8.32	55.09	**458**
8/2016	1515	**202**	**164.32**	37.68	52.73	**1987**
9/2016	2131	**285**	**231.13**	53.87	53.72	**2894**
10/2016	4689	**615**	**508.57**	106.43	55.83	**5942**
11/2016	3593	**470**	**389.70**	80.30	56.89	**4568**
12/2016	3614	**473**	**391.97**	81.03	57.83	**4686**
1/2017	206	**27**	**22.34**	4.66	57.83	**269**
2/2017	1331	**177**	**144.36**	32.64	59.64	**1947**
3/2017	1940	**258**	**210.41**	47.59	59.58	**2835**
योग						**33989**

30 व्यतीत अर्जित अवकाश को अर्जित अवकाश खाते से कम न किए जाने बारे:-

अंकेक्षण में निर्माण मण्डल के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारी के संदर्भ में कर्मचारी द्वारा व्यतीत की गई अर्जित अवकाश की अवधि को सेवा पंजिका में अर्जित अवकाश खाते से कम नहीं किया गया था। अत: कर्मचारी के अर्जित अवकाश के खाते को अर्जित अवकाश अवधि से कम न किए जाने

को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा व्यतीत अर्जित अवकाश को अर्जित अवकाश खाते से कम किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of Employee	Period for which Earned Leave Account not debited.	Remarks
Smt. Parwati devi	13.2.2017to 25.02.2017 -13 Days	Leave acoount not Debited
	9.5.2016 to 31.5.2016-23 days	Sanction Commuted leave for 23 days for the Period 9.5.2016 to 31.5.2016 instead of Earned leave applied by smt Parwati devi.

31 **लघु आपत्ति विवरणिका**: यह अलग सें जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अकेंक्षण के दौरान कर लिया गया।

32. **निष्कर्ष** : लेखाओं के रख रखाव में सुधार की अति आवश्यकता हैं।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)196 / 97–खण्ड–9–5544–5546 दिनांकः 24.8.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला–2

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–I पैरा 1 (ख) में वर्णित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, शिमला–171009

के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2016 तक के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 25(1) (2)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत
3	पैरा 27	अनिर्णीत
4	पैरा 28	अनिर्णीत
5	पैरा 29	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 11	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 10.3	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 19 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 20 (ङ)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 11	अनिर्णीत	
3	पैरा 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 15	अनिर्णीत	
5	पैरा 16	अनिर्णीत	
6	पैरा 19	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 5 (ख)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 7	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
7	पैरा 8 (1)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
8	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8 (3)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
10	पैरा 8 (4)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
11	पैरा 8 (5)	निर्णीत	(आवश्यक वसूली माप पुस्तिका संख्या 972 पृष्ठ 57 में करने के पश्चात)
12	पैरा 9	निर्णीत	(समायोजन वाउचर जे–8/2–2018 द्वारा वसूली पश्चात)

13	पैरा 10 (1)	निर्णीत	(आवश्यक वसूली माप पुस्तिका संख्या 949 पृष्ठ 88 व 92 में करने के पश्चात)
14	पैरा 11 (1)	निर्णीत	(समायोजन वाउचर जे–9/2–2018 द्वारा वसूली पश्चात)
15	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12 (1)	निर्णीत	(आवश्यक वसूली माप पुस्तिका संख्या 870 पृष्ठ 94 व 95 में करने के पश्चात)
17	पैरा 13	निर्णीत	(₹4523573 समायोजन वाउचर संख्या 19दिनांक 30.3.2017 को अनुसार समायोजन पश्चात)
18	पैरा 14	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर पश्चात)
19	पैरा 15	अनिर्णीत	
20	पैरा 16	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
21	पैरा 17	अनिर्णीत	
22	पैरा 18	अनिर्णीत	
23	पैरा 19	अनिर्णीत	
24	पैरा 20	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
25	पैरा 21	अनिर्णीत	
26	पैरा 22	निर्णीत	(₹17425 कॉन्ट्रेक्टर लेजर पृष्ठ 27 में दर्ज करने के पश्चात)
27	पैरा 23	अनिर्णीत	
28	पैरा 24	निर्णीत	(आवश्यक वसूली पश्चात)
29	पैरा 25	निर्णीत	(कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसार)

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत

8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

1	पैरा 21 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत